संख्या-23/2018/447/26-3-2018-05(विविध)/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 06 फरवरी 2018

विषयः-समाज कल्याण विभाग के स्थापित राजकीय अनुसूचित जाति बालक/बालिका छात्रावास जनपद-उन्नाव के मरम्मत कार्यो हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-72-73/स0क0/ विकास/छात्रावास-मरम्मत/2017-18, दिनांक-24.04.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित राजकीय अनुसूचित जाति बालक/बालिका छात्रावास जनपद-उन्नाव में मरम्मत कार्यो हेतु यू0पी0सिडकों द्वारा गठित आगणनों का परीक्षणोपरान्त निम्न विवरण के अनुसार 04 परियोजनाओं की कुल लागत रू0-440.24 लाख (रू0 चार करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संचालित राजकीय छात्रावासों / राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण योजना में रू0-291.60 लाख (रू0 दो करोड़ इक्यानबे लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रूपये में)

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | आकलित लागत | स्वीकृत की जा रही धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास-1 बाईपास उन्नाव में मरम्मत कार्य | 72.25 | 72.25 |
| 2 | राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास-2 बाईपास उन्नाव में मरम्मत कार्य | 70.71 | 70.71 |
| 3 | राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बाईपास उन्नाव में वाह्य स्थल विकास कार्य | 109.71 | 54.855 |
| 4 | राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास बाईपास उन्नाव में मरम्मत कार्य | 187.57 | 93.785 |
| | योग | 440.24 | 291.60 |

(रूपये दो करोड़ इक्यानबे लाख साठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0सिडकों के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये मार्च 2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)- उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। स्वीकृत निर्माण कार्य की 70 प्रतिशत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेग।

(5)- उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)- धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(7)- उक्त प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(8)- उपर्युक्त स्वीकृतियों से सम्बन्धित धनराशियां व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त, 2017 में निहित निर्देशो/प्रतिबन्धों का अनुपलन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 पार्ट-। के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतो से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-23/2018/447(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।

3-प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग (अनुभाग-6) उ0प्र0शासन।

4-जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव।

5-निदेशक, वित्तीय एवं साख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

6-निदेशक, वित्त/वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0लखनऊ।

7-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।

8-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/कोषाधिकारी, उन्नाव।

9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0।

10- निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

11-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

12-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।

13-गार्डफाइल

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

## प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)
## पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
## (सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

**अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग)** वित्तीय वर्ष 2017-2018 (धनराशि लाख रू0 में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संकमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित लाभार्थियों को टरशरी केयर चिकित्सा सुविधा-42-अन्य व्यय- | 2238.00 | 291.60 | 291.60 | 291.60 | 1946.40 |
| योग | 2238.00 | 291.60 | 291.60 | 291.60 | 1946.40 |

| निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संकमण की धनराशि | संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण- | 500.00 | 791.60 | 291.60 | 291.60 | 791.60 |
| योग | 500.00 | 791.60 | 291.60 | 291.60 | 791.60 |

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीषकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- योजना के कियान्वयन किये जाने के कारण ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या-आर0ई0-202 /दस-2018, दि0 22.1.2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

( रवि शंकर मिश्र )
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

( मनोज सिंह )
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 23/2018/447 (1)/26–3–2018–5(विविध)/2018–दिनांक 06 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग , उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, उन्नाव।
6– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7– निदेशक (वित्त)/वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8– जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव।
9– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
10– बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुभाग–6,उ0प्र0 शासन।
11– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।